

FROM NO. III


फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम डूंगला जिला चित्तौड़गढ़

बनाम

किस्म मुकदमा पत्थरगढी नं. 175/22 सन् 202

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिथिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख की तारीख में जारी हुए
17.6.22	<p>प्रार्थी की ओर से वकील श्री <u>सहलाद सिंह शक्तावर</u> ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट के तहत मय नवल जनाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस के प्रस्तुत किया जो बाद जोस पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर किया गया</p> <p>सक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा <u>उरनिगा</u> पटवार मण्डल <u>सुगिरा</u> तहसील डूंगला की आराजी नम्बर <u>113, 297, 298, किता-3</u></p> <p>रकबा <u>1.5170</u> हैक्टर/बीघा भूमि स्वयं के खातेदारी होकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज है, जिसका कोई स्थायी सीमा चिन्ह नहीं है। तथा विपक्षीगण आराजी के पड़ोसी हैं प्रार्थी और विपक्षी के मध्य आराजी सीमा को लेकर आये दिन विवाद होता रहता है, इसलिए उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढी कराई जावे।</p> <p>पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया, बहस सुनी गई। प्रार्थी जैर बहस आराजी का खातेदार होकर उन्हें नपती कराने का अधिकार निहित है। अतः तहसीलदार डूंगला को <u>1000</u> - अक्षरे <u>100</u> हजार रुपये फीस पर कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मुकदमा पक्षकारान की उपस्थिति में बंदोबस्ती नक्शे के अनुसार बिना किसी के कब्जे काश्त में दखल दिये मौजा <u>उरनिगा</u> पटवार मण्डल <u>सुगिरा</u> तहसील डूंगला की आराजी नम्बर <u>113, 297, 298, किता-3</u></p> <p>रकबा <u>1.5170</u> है0/बीघा भूमि की पत्थरगढी मुकमल तौर पर की जावें।</p> <p>पत्थरगढी पालना प्रतिवेदन दिनांक <u>20/1/22</u> तक न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर संलग्न पत्रावली हो।</p> <p>पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	


उपखण्ड अधिकारी
डूंगला